पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष द्वारा पूर्व में बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC एवं 144 CPC सम्पादित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी (अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 10 PC दिनांक 20.8.09) ने बहस प्रारम्भ कर कथन किए कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में सिविल रिट नम्बर 5212/19 पेश कर रखी है। चूंकि प्रकरण हाजा एवं विचाराधीन रिट की विषय वस्तु समान है एवं पक्षकार भी समान है अतः कानूनन एक ही प्रकरण दो न्यायालयों में नहीं चल सकता अतः इस दावे की कार्यवाही स्थगित फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 10 CPC विधि विरुद्ध एवं अधिकारहीन है। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व स्थिति बहाल करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत CPC 144 पेश किया गया है। जिसकी

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

पत्र, वाद नहीं होने से न्यायालय कार्यवाही स्थगित नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। अतः प्रार्थना पत्र 10 CPC सव्यय खारिज फरमावे।

इसके उपरांत अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 144 CPC समाप्ति की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी (प्रार्थी अन्तर्गत 144 CPC) ने बहस में कथन किए कि प्रकरण हाजा में इस न्यायालय ने दिनांक 10.2.2014 को निर्णय एवं डिक्री जारी की थी। जिसे मा. राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 23/9/16 द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10/2/14 को निरस्त कर दिया गया। मा. न्यायालय RAA के निर्णय दिनांक 23/9/16 की अपील मा. BOR में हुयी। मा. न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 4/1/19 द्वारा मा. RAA के निर्णय दिनांक 23/9/16 की पुष्टि की है। इस प्रकार वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/2/14 एवं डिक्री दिनांक 14/2/14 निरस्त हो चुके है। अतः वाद के निर्णय एवं डिक्री से पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब बहस में कथन किए कि मा. राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा मा. उच्च न्यायालय राजस्थान में सिविल रिट 5212/19 पेश कर दी है जिसमें माननीय न्यायालय भी पक्षकार है। अतः न्यायालय को इसमें कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित कर प्रार्थना पत्र 144 CPC खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने ~~ने~~ पुनः बहस कर कथन किए कि वादीगण ने जानबूझकर 10 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया है। मा. उच्च न्यायालय ने प्रकरण में स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

विचारण न्यायालय का निर्णय तो वादीगण के पक्ष में हुआ था फिर भी वादी ने विचारण-न्यायालय को मा. उच्च न्यायालय में पक्षकार बनाया है ताकि इसकी आड़ में वादी, प्रतिवादीगण के हितों को प्रभावित कर सके। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने न्यायदृष्टांत - 2004(3) CCC पेज 316, 2011(2) CCC पेज 446, 2003(2) ACJ पेज 708 प्रस्तुत कर पूर्व स्थिति बहाल करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधानानुसार -" कोई भी न्यायालय किसी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी मुकदमें के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है।"

धारा 10 CP का मूलभूत प्रयोजन किसी वाद में समान वाद हेतुक, समान विषय वस्तु तथा समान अनुतोष के संबंध में दो समानान्तर वादों के न्याय-निर्णयन तथा साथ-साथ ग्राह्यता से एक ही न्यायालय की आधिकारिता को रोकना है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र 10 CPC, वाद पर लागू होता है, प्रार्थना पत्र पर नहीं। यहाँ प्रार्थना पत्र 144 CPC पर निर्णयन किया जाना है। प्रकरण हाजा एवं मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान है परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 144 CPC के तहत अनुतोष देने की अधिकारिता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

को है। चूंकि प्रार्थना पत्र केवल इसी न्यायालय में प्रावधान लागू नहीं होने से आदेश 47 10 CPC के प्रावधान लागू नहीं होते से आदेश पर 10 CPC पोषणीय नहीं है। अतः हाजा में प्रार्थना पत्र 10 CPC खारिज किया प्रार्थना पत्र वादीगण अन्तर्गत 10 CPC खारिज किया जाता है।

धारा 144 CPC के अनुसार - " Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose the court which passed the decree or order shall on application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof has been varied, reversed, set aside or modified and for this purpose, court may make any order."

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि जहाँ अपील/पुनरीक्षण में किसी डिक्री/निर्णय को अपास्त/परिवर्तित/संशोधित कर दिया जाता है तो किसी पक्षकार के आवेदन पर प्रथम बार का न्यायालय प्रत्यास्थापन द्वारा ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार जहाँ तक हो सके, उसी स्थिति में हो जाएं जिसमें वे डिक्री/निर्णय न दिए जाने पर होते।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/2/14 को मा. RAA के निर्णय दिनांक 23/9/16 द्वारा अपास्त कर दिया गया जिसकी पुष्टि मा. राजस्व मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 4/1/19 द्वारा की है। वर्तमान में विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10/2/14 एवं 14/2/14 निरस्त हो चुके हैं।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

पत्रकारों द्वारा पूर्व स्थिति बहाली हेतु आवेदन पत्र लगाया गया है। यद्यपि मा· राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 04/1/19 की अपील मा· उच्च न्यायालय में हुयी है परंतु मा· उच्च न्यायालय में आदिनांक तक कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है. अत: न्याय दृष्टांत –

2011 (2) civil court cases 446
2004 (3) civil court cases 316
2003 (2) Apex court Judgement 708

यहाँ प्रति: चस्पा होते है। एवं उपर्युक्त विवेचन तथा सम्मानीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के आलोक में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिप्रार्थी अन्तर्गत धारा 144 CPC स्वीकार किया जाता है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 4/1/19 द्वारा पुनः मा· न्यायालय RAA के निर्णय दिनांक 23/9/16 की पालना में पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश दिए जाते है। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट 5712/19 अनवरी हमेलसिंह बनाम सर्वजीत वगैरह के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.20 12:29:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: